

इंजीनियरिंग विभाग के ट्रेकमैन संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों का अन्तर-रेलवे/मंडल पारस्परिक स्थानान्तरण का निम्न उल्लेखित मामला जिसमें दोनों मंडलों की सहमति प्राप्त है, में सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित करने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है, विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	अन्तर मंडल पारस्परिक स्थानान्तरण पर दोनों मंडल के कर्मचारियों का विवरण	पत्र संख्या जिसके द्वारा सहमति पत्र जारी किया गया है।
01	श्री नरेश कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/गोरील/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री सौरभ कुमार तिवारी, TM-IV अधीन वसेई/पथ/सीवान(पूर्व), वाराणसी मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/2020 दिनांक-29.10.2020 (ii) मरेप्र(का०)/वाराणसी का पत्र सं०-NER-BSBOPers(MUL)/4/2020 दिनांक-22.10.2020
02	श्री प्रसेन्जीत कुमार, TM-III (Reversion on TM-IV) अधीन वसेई/पथ/मुजफ्फरपुर पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री अभिषेक कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/फारविसगंज, कटिहार मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/2019 दिनांक-16.09.2019 (ii) मरेप्र(का०)/कटिहार का पत्र सं०-E/283/I/EE/Ways/KIR/Pt-XII दिनांक-15.10.2020
03	श्री सुनील कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/मुजफ्फरपुर/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री कुन्दन कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/सुगौली, समस्तीपुर मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/पार.स्था./सोन/2020 दिनांक-29.10.2020 (ii) मरेप्र(का०)/समस्तीपुर का पत्र सं०-का/283/इंजी०/ज०वि०प्र०/अं०मं०/पार०स्था०/सम०/2020 दिनांक-25.11.2020
04	श्री इन्द्रजीत कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/पूर्व/समस्तीपुर/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री पंकज कुमार राय, TM-IV अधीन वसेई/पथ/हसनपुर रोड, समस्तीपुर मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/पार.स्था./सोन/2020/पार्ट-11 दिनांक-21.05.2020 (ii) मरेप्र(का०)/समस्तीपुर का पत्र सं०-का/283/इंजी०/ज०वि०प्र०/पार०स्था०/सम०/19/पार्ट-1 दिनांक-14.12.2020
05	श्री राकेश कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/कुर्सेला/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री रविकान्त कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/भागलपुर, मालदा मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/पार.स्था./सोन/2020 दिनांक-29.10.2020 (ii) मरेप्र(का०)/मालदा का पत्र सं०-E/Engg./IRMT/MLDT/Pt.-X दिनांक-15.12.2020
06	श्री अजय कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/मुजफ्फरपुर/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री प्रकाश कुमार साह, TM-IV अधीन वसेई/पथ/सुगौली, समस्तीपुर मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/पार.स्था./सोन/2020 दिनांक-29.10.2020 (ii) मरेप्र(का०)/समस्तीपुर का पत्र सं०-का/283/इंजी०/ज०वि०प्र०/पार०स्था०/सम०/19/पार्ट-1 दिनांक-07.01.2021
07	श्री कमलनाथ कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/मुजफ्फरपुर/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थानां० श्री सोनु कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/नरकटियागंज, समस्तीपुर मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/पार.स्था./सोन/2020 दिनांक-29.10.2020 (ii) मरेप्र(का०)/समस्तीपुर का पत्र सं०-का/283/इंजी०/ज०वि०प्र०/पार०स्था०/सम०/19/पार्ट-1 दिनांक-07.01.2021

उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित किये जाने पर वमई(समन्वय)/सोन० महोदय का आदेश प्राप्त है। पारस्परिक स्थानान्तरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

01. उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजे जिससे संबंधित मंडल को विरमित किया जा सके।
02. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस० पी० ई०/विज० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानान्तरण अवकाश देय नहीं होगा।
04. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानान्तरण नहीं लेंगे।
05. वरीयता पारस्परिक स्थानान्तरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(रवि कुमार पंडित)

सकाधि-11

कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर

दिनांक-10.02.2021

सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/पोस्टिंग/2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमई(समन्वय) एवं वमविप्र/सोनपुर।
02. मंरेप्र(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी, पूर्व रेलवे/मालदा, पू0सी0 रेलवे/कटिहार, पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर-रेलवे बोर्ड के पत्र सं0-E(NG)I-2017/TR/24 RBE No.-65/2018 dt-09.05.18 के अनुपालन अपने अधिनस्त कर्मचारी को डीएआर/एस0 पी0 ई0/विज0 मामलों से मुक्त होने पर इस कार्यालय को रिपोर्ट करने हेतु विरमित करने की व्यवस्था करें।
03. समई(पश्चिम)/बरौनी, समई(द0)/मुजफ्फरपुर, समई/थानाबिहपुर -उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारी को सत्यापित पहचान के साथ इस कार्यालय में विरमित करें, ताकि संबंधित मंडल में विरमित किया जा सके। विरमित करने से पूर्व कर्मचारी डीएआर/एसपीई/विज0 की सजा से मुक्त होना चाहिए।
04. वसेई/पथ/गोरौल, वसेई/पथ/मुजफ्फरपुर, वसेई/पथ/पूर्व/समस्तीपुर, वसेई/पथ/कुर्सेला।
05. कर्मचारी प्रति। 06. अभिलेख प्रति।
07. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयु अजा-अजजा, ओबीसी ऐषो0/सोनपुर।

कृते मंरेप्र (का0)

सोनपुर
15/05/18

सं0-
प्रति